

अध्याय 9क
प्रशासक कमेटी

1[123क. किसी सहकारी समिति को प्रशासक कमेटी की बैठक केवल समिति के मुख्यालय पर होगी।

123ख. यथास्थिति प्रबन्ध निदेशक या सचिव, प्रशासक कमेटी, जिसे आगे इस अध्याय में कमेटी कहा गया है, की बैठक बुलायेगा और वह ऐसी बैठक की नोटिस अधिनियम, नियमों या प्रबन्ध कमेटी के सम्बन्ध में उसके अधीन बनायी गयी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार देगा।

123ग. कमेटी के कोई तीन सदस्य उक्त कमेटी की बैठक बुलाने की माँग कर सकते हैं।

123घ. कमेटी की किसी बैठक की गणपूर्ति कमेटी की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक से या तीन सदस्यों से, इनमें जो भी अधिक हो, होगी।

123ङ. सामान्यतया कमेटी की बैठक बुलाने के लिए सात दिन की नोटिस आवश्यक होगी। किन्तु किसी आपत्तिक बैठक की स्थिति में तीन दिन की नोटिस पर्याप्त होगी। दोनो मामलो में ऐसी नोटिस के साथ बैठक की कार्यसूची भेजी जायेगी।

123च. कमेटी का समापित या उसकी अनुपस्थित में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जब उसमें ऐसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाना हो जिनमें उसकी व्यक्तिगत रुचि हो।

123छ. बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कार्यवाहियों का संचालन ऐसी रीति से करेगा जिससे कार्य का शीघ्र और संतोषजनक निस्तारण करने में सहायता मिल सके और बैठक में समस्त औचित्य के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा।

123ज. कमेटी की तब तक न तो कोई बैठक की जायेगी और न उसमें कोई कार्यवाही की जायेगी जब तक कि गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य उपस्थित न हों।

123झ. जब कोई बैठक गणपूर्ति के आभाव में स्थगित कर दी गयी हो, तब स्थगित बैठक कम से कम तीन सदस्यों के भाग लेने से की जा सकती है।

123ञ. बैठक में विषयों पर विचार कार्यसूची में यथा उल्लिखित क्रम में किया जायेगा जब तक कि बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अनुपस्थिति सदस्यों के बहुमत की सहमति से कम में परिवर्तित करने के लिए सहमत न हो।

123ट. किसी बैठक में समस्त मामलो का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से संकल्प के रूप में किया जायेगा।

123ठ. बराबर बराबर मत होने की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

123ड. यदि कमेटी किसी संकल्प पर विभाजित हो जाये तो उस कमेटी का कोई प्रशासक मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाये, तब बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति संकल्प पर मतदान करा सकता है और मतदान हाथ

उठाकर किया जायेगा।

123ढ. यदि कार्यसूची के समस्त कार्यक्रमों पर उस दिन कार्यवाही की जा सके जिस दिन बैठक की जाये तो बैठक ऐसे किसी अन्य दिन के लिए स्थगित की जा सकती है, जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विनिश्चित किया जाये।

123ण. बैठक की नोटिस और कार्यसूची की एक प्रति जब निबन्धक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपेक्षा करे, उसे भेजी जायेगी।

123त. निबन्धक ऐसे कारणों से जिन्हे अभिलिखित किया जायेगा, कार्यसूची के किसी मद पर विचार स्थगित करने के लिए कमेटी को निदेश दे सकता है। ऐसे निदेश का उल्लंघन करके बैठक में लिया गया कोई विनिश्चय अविधिमान्य और अप्रवर्ती होगी।

123थ. कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिये रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किया जायेगा और उस पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और समिति के, यथास्थिति प्रबन्ध निदेशक या सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

123द. कमेटी के सभापति या किसी सदस्य को कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

123ध. कमेटी के किसी सदस्य को उसको अपनी समिति से कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता मिलेगा और यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के नियम 386,387 और 388 यथावश्यक परिवर्तन सहित, कमेटी के सदस्यों पर लागू होंगे।

123न. कमेटी का प्रत्येक सदस्य किसी सहकारी समिति के कार्य कलाप के संचालन में सामान्य व्यक्ति के विवेक और अध्यवसाय का प्रयोग करेगा, अधिनियम, नियमो या समित की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई कार्य नहीं करेगा और

अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों के पालन में
चूक नहीं करेगा।

अधिसूचना संख्या 2311/49-1-97-7(10)-1995 टी0सी0 दिनांक 13.11.1997 द्वारा
अध्याय-9क नियम 123 क से 123 न तक प्रतिस्थापित हुयी, जो उ0प्र0 असाधारण
गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 13 नवम्बर, 1997 को प्रकाशित हुआ।